न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ील संख्या : 16/527

1. मोहन लाल आयु 30 वर्ष आत्मज परमानन्द जाति मीणा निवास ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी ।
2. सोहन लाल आयु 25 वर्ष आत्मज परमानन्द जाति मीणा निवासी ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी ।
3. सीताराम आयु 23 आत्मज परमानन्द जाति मीणा निवासी ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी ।
4. राधेश्याम आयु 20 वर्ष आत्मज परमानन्द जाति मीणा निवासी ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी ।
5. कांताबाई आयु 18 वर्ष पुत्री परमानन्द जाति मीणा निवासी ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी ।
6. बिसरी बाई आयु 61 वर्ष बेवा परमानन्द जाति मीणा निवासी ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सत्यनारायण आयु 47 वर्ष आत्मज दुर्गालाल जाति मीणा निवासी हाल धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. भूरी बाई आयु 71 वर्ष बेवा दुर्गालाल जाति मीणा निवासी हाल धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री प्रकाश चन्द भण्डारी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 31.01.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नमाना तहसील एवं जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 200 रकबा 24 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि बन्दोबस्त पूर्व दुर्गालाल वल्द देव्या जाति मीणा निवासी

नमाना हाल आबाद गोरधनपुरा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में दर्ज रही है । भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा अवैधानिक रूप से फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा में विधि के विपरीत वादग्रस्त आराजी सरपंच ग्राम पंचायत नमाना जिला बून्दी की अवैध रिपोर्ट के आधार पर एवं वादी के पिता स्व0 दुर्गालाल वल्द देव्या की बिना सहमति के प्रार्थी के पिता का नाम हटाकर वादग्रस्त आराजी रूपा उर्फ रामा व ईशर पिता गोमदा के नाम खातेदारी में अंकित कर दी । भू-प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार का इन्द्राज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । प्रार्थी कम 1 स्व0 दुर्गालाल का पुत्र एवं प्रार्थी कम 2 स्व0 दुर्गालाल की बेवा होने से प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादग्रस्त आराजी पर स्वयं खातेदार घोषित करावे ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण कम 1 से 6 को दौराने वाद जरिये अस्थीय निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के स्वतंत्र उपयोग, उपभोग के बाधा उत्पन्न नहीं करे न ही किसी अन्य से करावे तथा कहीं रहन, बय आदि तरीकों से अन्तरित नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.07.2016 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निर्णय पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का ही कब्जा है और वह उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी बन्दोबस्त से पूर्व रेस्पोडेन्ट के पूर्वज दुर्गालाल वल्द देव्या के खातेदारी की भूमि थी जिसे बन्दोबस्त विभाग द्वारा अनाधिकृत रूप से अप्रार्थी अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया। उक्त गलत इन्द्राज का लाभ उठाकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा हैं । यदि दौराने वाद उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द एवं राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन कर दिया गया तो प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा । इस प्रकार प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं

। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के हितों को संरक्षित रखते हुए ा निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पुर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया जिससे साबित है कि बन्दोबस्त से पूर्व उक्त भूमि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के पूर्वज श्री दुर्गालाल के खातेदारी में दर्ज थी । इस प्रकार प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में होना साबित है । यदि दौराने वाद उक्त भूमि को अप्रार्थीगण अपीलान्ट द्वारा खुर्द–बुर्द अथवा किसी अन्य प्रकार से अन्तरण कर दिया तो प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी ।

10. चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण तो मूल वाद के निस्तारण के समय होगा । अभी अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की स्टेज पर हमे केवल इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना किसके पक्ष में । प्रस्तुत प्रकरण में बन्दोबस्त से पूर्व उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के पूर्वज श्री दुर्गालाल के खातेदारी में दर्ज थी और उक्त इन्द्राज के आधार पर यदि दौराने वाद वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थीगण अपीलान्ट द्वारा खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान या राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन कर दिया तो प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को अपूर्णीय क्षति होगी और उनका वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2016 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा